20/11/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ द्वारा कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली आईंदा कार्यवाही हेतु दिनांक 19/12/24 को पेश हो।

19/12/24 पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप०। प्रतिवादीगण की तरफ पेश नहीं होने हेतु वकील वादी को अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते तरफी दि. 22/1/25 को पेश हो।

22/1/25 पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी अनुपस्थित। बार बार आवाज लगाई गई। फिर भी ना तो वकील वादी उपस्थित आये और ना ही वादी स्वयं उपस्थित आये। अतः पत्रावली अपनहाती/अपनपैरवी के खारिज की जाती है। पत्रावली नस्ती में कायम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)